रजिस्टर्ड न0 ल0-33/एस0 एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 फरवरी, 1990/23 माघ, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 29 जनवरी, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0-2169.--चूंकि श्रीमती विरमा देवी पत्नी श्री राधे लाल, निवासी ग्राम पुजारली, पंचायत क्षेत्र, मान्दल की शिकायत पर उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू ने श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत मान्दल के विरुद्ध जांच के दौरान यह पाया है कि श्री जगदीश चन्द, प्रधान ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार के नाते श्री राधे लाल की भूमि पर रेन शैल्टर का निर्माण किया है जबकि उक्त श्री जगदीश चन्द को यह मालूम था कि यह भूमि श्री राधे लाल की है और उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया । इस प्रकार श्री जगदीश चन्द, प्रधान ने जानबूझ कर एक गरीब और निस्हाय के हित की रक्षा करने के बजाय उसने उसकी भूमि पर नाजायज कब्जा करके रेन शैल्टर का निर्माण किया और उसे नुकसान पहुंचाया । श्री जगदीश चन्द का यह कृत्य प्रधान के नाते जनहित में नहीं है;

और चूंकि उक्त शिकायत को जांच करने के दौरान श्री लायक राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मान्दल ने उप-मण्डलाधिकारी (ना0) रोहड़ू को लिखित रूप में श्री जगदीश चन्द, प्रधान के विरुद्ध यह भी शिकायत की कि विकास कार्यों के निर्माण के लिये स्वीकृत अनुदान की राशि का भी श्री जगदीश चन्द, प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया है । उप-प्रधान की शिकायत पर ग्राम पंचायत मान्दल द्वारा निर्मित तथा निर्माणाधीन सभी कार्यों का कनिष्ठ अभियन्ता (विकास), जुब्बल तथा सहायक अभियन्ता (विकास), जिला शिमला के माध्यम से मुल्यांकन कराया गया : सहायक अभियन्ता (विकास) जिला शिमला की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि मूल्यांकित राशि से अधिक खर्च की गई :—

1. मान्दल में ट्राईसम प्राशिक्षाणार्थियों के लिये पांच शैडों के निर्माण के लिये विकास खण्ड जुब्बल से मु0 50,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हुई । यह सारी की सारी राशि ग्राम पंचायत को रीलीज कर दी गई पंचायत द्वारा समस्त राशि खर्च की गई दिखाई, परन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार यह कार्य मु0 44,137/- रुपये का ही आंका गया इस प्रकार मु0 5,863/- रुपये इस कार्य के निर्माण पर अधिक व्यय किये गए, जिसक लिये श्री जगदीश चन्द प्रधान उत्तरदाई है ।

2. इसी प्रकार प्राथमिक पाठशाला भवन मान्दल में तीन अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिये मु0 34,802/- रुपये अनुदान के स्वीकृत हुए । मु0 34,802/- रुपए पंचायत को दिये गये और पंचायत द्वारा समस्त राशि स्कूल भवन निर्माण पर खर्च की गई, परन्तु सहायक अभियन्ता (विकास) की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार किया गया कार्य 32,700/- रुपये का ही आंका गया । इस प्रकार मु0 2,102/- रुपये इस कार्य पर अधिक खर्च किया दिखाया जिसके लिये श्री जगदीश चन्द प्रधान उत्तरदाई है ।

3. ग्राम मान्दल में पुराने मन्दिर की मुरम्मत के लिये अनुदान की नकद राशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा 12 पेड़ देवदार के भी स्वीकृत किये गये । सहायक अभियन्ता (विकास), जिला शिमला की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार नई और पुरानी तैयार लकड़ी कुल 21.00 एम 3 लगभग बनती हैं किन्तु मन्दिर की मुरम्मत पर लगाई गई लकड़ी लगभग 4.50 एम0 3 बनती हैं । इस प्रकार 16 50 एम0 3 लकड़ी का कोई हिसाब नहीं जिससे स्पष्ट है कि इन लकड़ियों का भी दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये श्री जगदीश चन्द, प्रधान उत्तरदाई है;

और चूंकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री जगदीस चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत मान्दल, विकास खण्ड जुब्बल ने अपने कर्तव्यों का भली-भान्ति पालन नहीं किया है और सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है । अतः श्री जगदीश चन्द, प्रधान, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (II) (डी0) के प्रावधान के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में दुराचार का दोषी पाया गया है;

और चूंकि श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत मान्दल, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के विरुद्ध स्कैब ग्रस्त सेब घोटाले से सम्बन्धित निम्न मामले भारतीय दण्ड संहिता का भिन्न-भिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं और इन मामलों में लगाये गये आरोप बहुत ही गम्भीर हैं :—

1. यह कि श्री जगदीश चन्द ने 26-10-83 को जुब्बल में बेईमानी से तथा धोखा दे कर हिमाचल प्रदेश सरकार से बजरिया चैक नं0 860435, दिनांक 26-10-83 द्वारा स्कैब से ग्रस्त सेब जिसका वजन 651.70 क्विंटल था की कीमत मु0 32,585/- रुपये प्राप्त की इस प्रकार उस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन जुर्म किया ।

2. यह कि 13-9-83, 22-9-83 और 1-10-83 को मान्दल रोहटान, तहसील जुब्बल में श्री जगदीश चन्द ने दिनांक 13-9-83 को रसीद नं0 036527, 22-9-83 को रसीद नं0 036228 और 1-10-83 को रसीद नं0 036414 में जालसाजी की और उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 नं0 20/86 अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 क अधीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक तथा स्थान पर श्री जगदीश चन्द तथा अन्य अभियुक्तों ने मिलीभगत कर के उपरोक्त रसीदों में जालसाजी की और इस मिलीभगत के फलस्वरूप उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468/420 और धारा 5 (1) (डी0) पी0सी0 एक्ट, 1947 के अन्तर्गत जुर्म किया और यह जुर्म भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी के अधीन दण्डनीय है;

और क्योंकि उपरोक्त सभी अपराध नैतिक पतन से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर जो कि एक सार्वजनिक महत्व का पद है ऐसे व्यक्ति को बनाए रखना जिसका नैतिक आचरण शंका-प्रद हो जनहित में नहीं है।

अतः मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे उपरोक्त अधि-नियम की धारा 54 (1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 म प्राप्त हैं, श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत मान्दल को यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और उन्हें यह आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी, जुब्बल के माध्यम से इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को दें और उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्य के लिये ग्राम पंचायत मान्दल के प्रधान पद से निलम्बित किया जाये। यदि उनका स्पष्टीकरण निश्चित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि उन्हें अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है और उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जाएगी।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, MANDI, DISTRICT MANDI

OFFICE ORDER

Mandi, the 29th January, 1990

No. PCN-MND-A (61)/85-III-287.—In exercise of the powers vested in me under rule 19 (B) of the Himachal Pradesh Gram Panchayat Rule, 1971 [read with notification No. PCH-HB (2)-19/76, dated 15th January, 1982]. I, S. K. Justa, Additional Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi hereby accept the resignation of Shri Nanak Chand, Panch, Gram Panchayat, Chowk, Development Block, Dharampur, District Mandi with immediate effect. The seat of this office bearer is also declared as vacant.

S. K. JUSTA,
Additional Deputy Commissioner,
Mandi, District Mandi.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 31 जनवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी0-डेव-4377-81.—क्योंकि श्री मेघ सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 326/- रुपये अपने पास अनाधिकृत

रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री मेघ सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री मेघ सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत थाचाधार, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता।

मण्डी, 31 जनवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी0-आर0 डी0-ब-सैक्शन 4398-4402.—क्योंकि श्री तुला राम, पंच, ग्राम पंचायत छतरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 675/- रु0 अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री तुला राम, पंच, ग्राम पंचायत छतरी, विकास खण्ड सराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका पंच जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री तुला राम, पंच, ग्राम पंचायत छतरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत पंच पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होन की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता।

मण्डी, 31 जनवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-4383-87.—क्योंकि श्री परमदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 7300/- रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री परमदेव, प्रधान, ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री परमदेव, प्रधान,

ग्राम पंचायत शिकावरी, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 31 जनवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-4388-92.—क्योंकि श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, बराड़ायाच, विकास खण्ड, सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पचायत सभा निधि की धनराशि 842.75, रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, बगड़ायाच, विकास खण्ड, सराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अत: मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 क नियम 77 में निहित है श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगड़ायाच, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 31 जनवरी, 1990

संख्या एम0 एम0 डी0-डैव-4393-97.—क्योंकि श्री कुमार सिंह, पंच, ग्राम पंचायत, छतरी, विकास खण्ड, सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 850.00 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरन/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री कुमार सिंह, पंच, ग्राम पंचायत, छतरी, विकास खण्ड, सराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका पंच जैसे पद पर बने रहना जन हितार्थ में नहीं है ।

अत: मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला, मण्डी हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री कुमार सिंह, पंच, ग्राम पंचायत छतरी, विकास खण्ड, सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत पंच पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी,
जिला मण्डी ।

TOURISM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 1990

No. 2-10/80-TD (Sectt.) Vol. II.—In supersession of this Department notification of even number, dated the 13th June, 1989, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Prem Kumar, Director Tourism, Himachal Pradesh as Director of the Board of Directors of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation in place of Shri S. Nigam with immediate effect.

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 1st February, 1990

No. 3-76/86-TSM (Sectt.).—Please *substitute* words "may be communicated" *in place of* words "shall be communicated" appearing in the fourth line of clause-*ii* of Rule-5 of this Department notification of even number, dated 17-9-88, regarding grant of incentives to Dhaba Scheme, 1988.

A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.